हिंदी लेखन का प्रोत्साहन

राजभाषा भारती

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के पहलू को सरकारी तंत्र में सशक्त रूप से पेश करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में पत्रिका एकक द्वारा वर्ष 1978 से त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण किया जा रहा है।

इस पत्रिका में राजभाषा/साहित्य/ज्ञान-विज्ञान तथा सरल हिंदी में लिखे गए ज्ञानप्रद लेख विभिन्न स्तंभों चिंतन, साहित्यिकी, पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य में, विश्व हिंदी दर्शन, पत्रकारिता, संस्कृति, उदारीकरण, तकनीकी/वैज्ञानिक, विविध आदि के अंतर्गत लेख प्रकाशित किए जाते हैं । वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पत्रिका में इस तरह के लेखों को प्राथमिकता दी जाती है । इस पत्रिका में प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लेखों को भी शामिल किया जाता है ।

इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के साथ, मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों व अन्य संस्थाओं की राजभाषा संबंधी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है । इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों के बारे में समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों को भी पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है ।

यह पत्रिका केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, हिंदी स्वयं सेवी संस्थाओं, लेखकों, विद्वानों, विश्वविद्यालयों, विभिन्न पत्रिका संपादकों इत्यादि को नि:शुल्क वितरित की जाती है । इसकी मुद्रण संख्या 5,000 है । मार्च, 2015 तक इस पत्रिका के 141 अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

राजभाषा गौरव पुरस्कार

(i) राजभाषा गौरव मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए)

केंद्रीय सरकार में सेवारत या सेवानिवृत्त कार्मिकों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य/ विद्वान भी शामिल किए जाते हैं। पुस्तक लेखन पुरस्कार की राशि निम्न प्रकार है :

प्रथम पुरस्कार	: 1,00,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	: 75,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	: 60,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार	: 30,000 रू., प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ii) राजभाषा गौरव ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (सभी नागरिकों के लिए)

यह योजना आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2004-05 से शुरू की गई है। इस योजना में देश का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य/ विद्वान भी शामिल किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राशियों के 13 नगद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है :

प्रथम पुरस्कार (एक)	दो लाख रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	एक लाख पच्चीस हजार रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	पचहत्तर हजार रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार(दस)	दस हजार रू0, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को

iii) राजभाषा गौरव उत्कृष्ट लेखों के लिए पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए)

केन्द्र की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं । इसी के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है । इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट लेख के लेखकों को दो वर्गों, हिंदी और हिंदीत्तर, में तीन-तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिंदी भाषी लेखकों को क्रमश: 20,000 रुपये, 18,000 रुपये एवं 15,000 रुपये तथा हिंदीत्तर भाषी लेखकों को 25,000 रुपये, 22,000 रुपये एवं 20,000 रुपये नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है ।

उपरोक्त राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के ब्यौरे के लिए योजना का संकल्प (सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25-03-2015) देखें ।

उच्च स्तरीय पुस्तकों की सूची तैयार करना

राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची तैयार की जाती है, जिसे भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि में परिचालित किया जाता है ताकि विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूचीगत पुस्तकों की खरीद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा की जा सके ।

सूची में शामिल की जाने वाली पुस्तकें कैलेंडर वर्ष के हिसाब से मंगवाई जाती हैं । साथ ही लेखकों/प्रकाशकों से इस आशय का एक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया जाता है कि उक्त पुस्तकों में राष्ट्र-विघटनकारी अथवा देशद्रोह-उन्मुखी एवं आतंकवाद व सांप्रदायिकता उत्तेजक सामग्री नहीं है और पुस्तक में कोई राजनैतिक, भौगोलिक अथवा राजनयिक विवादास्पद तथ्य नहीं है । प्रवासी भारतीय/भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्ति/व्यक्तियों के संबंध में संबंधित देश के भारतीय दूतावास/उच्चायोग द्वारा जारी प्रमाणीकरण भी प्राप्त किया जाता है ।

19वीं स्तरीय हिंदी पुस्तक सूची जनवरी, 2014 में जारी की गई, जिसमें 1664 पुस्तकें शामिल की गईं । इस सूची में कुल मिलाकर पुस्तकों की संख्या 43,213 हो गई है ।

मुख्य पृष्ठ